



प्रेस नोट थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक – 14.06.2025

थाना सेहरामऊ दक्षिणी द्वारा धोखाधड़ी करने वाले अभियोग में वांछित 03 अभियुक्तों को मय 40,500 रुपये, 03 की-पैड मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल सहित किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशानुसार मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष थाना सेहरामऊ दक्षिणी के नेतृत्व में थाना सेहरामऊ दक्षिणी को मिली बड़ी सफलता ।

वादी मुकदमा श्री रजनीश पुत्र श्री श्यामलाल निवासी ग्राम बादशाहनगर थाना सेहरामऊ दक्षिणी जिला शाहजहाँपुर ने दिनांक 10.06.2025 को वादी मुकदमा के साथ मौरंग, सीमेन्ट, सरिया सस्ते दाम पर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 60 हजार रुपये ले लेने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर पंजीकृत कराया गया था।

जिसके क्रम में आज दिनांक 14.06.2025 को थाना सेहरामऊ दक्षिणी द्वारा अभियुक्तगण 1. साहिल पुत्र खैराती निवासी ग्राम दुरहा थाना मौहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी 2. आमान पुत्र उस्मान निवासी ग्राम रसूलपुर थाना मौहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी 3. इदरीश पुत्र सरवर निवासी ग्राम रसूलपुर थाना मौहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी उक्त तीनों अभियुक्तगणों को ग्राम जलालपुर से बादशाहनगर को जाने वाली सड़क के पास बहद ग्राम बादशाहनगर से समय 06.02 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों की जामातलाशी से कुल 40,500 रुपये, 03 की-पैड फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल नं0 UP 31 AA 7388 बरामद किया गये । गिरफ्तार अभियुक्तगणों को हिरासत पुलिस लेकर पूछताछ की गई अभियुक्तगणों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोतरी की गई व गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. साहिल पुत्र खैराती उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम दुरहा थाना मौहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी
2. आमान पुत्र उस्मान उम्र करीब 54 वर्ष निवासी ग्राम रसूलपुर थाना मौहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी
3. इदरीश पुत्र सरवर उम्र करीब 55 वर्ष वासी ग्राम रसूलपुर थाना मौहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी

बरामदगी का विवरण

1. 40,500 रु0
2. 03 की-पैड फोन
3. घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल नं0 UP 31 AA 7388

आपराधिक इतिहास

साहिल

1. मु0अ0सं0 2233/2011 धारा 392 भादंवि थाना मोहम्मदी जनपद खीरी
2. मु0अ0सं0 0423/2012 थाना मोहम्मदी जनपद खीरी
3. मु0अ0सं0 0313/2023 धारा 406/411 भादंवि थाना गोला जनपद खीरी
4. मु0अ0सं0 0585/2023 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना गोला जनपद खीरी

इंदरीश

1. मु0अ0सं0 0738/2011 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना फूल बेहर जनपद खीरी

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 0175/2025 धारा 316(2)/318(4)/317(2) बी0एन0एस0 थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जिला शाहजहाँपुर।

पुछताछ का विवरण

अभियुक्तों ने पुछताछ में बताया गया कि साहब हम लोग उन व्यक्तियों को पकड़ते हैं जो रेत, बदरपुर, सीमेन्ट, रोड़ी, डस्ट, सरिया इत्यादि सामान खरीदने मार्केट में निकलते हैं हम उन्हें सस्ते दाम पर दिलवाने का भरोसा देकर उससे पैसे निकवा लेते हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 श्री विपिन गौतम
2. उ0नि0 श्री सौरव कुमार
3. का0 2466 निखिल कुमार
4. का0 130 प्रदीप चौहान
5. का0 2637 अक्षय राठी